

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक- 782 /11-सी-FP/UP/Others/26736/2017, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर/7, 2019

सेवा में,

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद-अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड (एन0एच0-80) किमी0 05 दांयी पटरी खसरा सं0-30 ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल जनपद-अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में।  
प्रस्ताव FP/UP/Others/26736/2017

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-1299/14-1, दिनांक 15.10.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

- 1- पृष्ठ संख्या-51 पर संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन में प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण अंकित है।
- 2- उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना में ब्याज त्रुटिपूर्ण आगणित किया गया गया है तथा H2-Case न Compounding किया गया और न ही न्यायालय को संदर्भित किया गया है। *योर्द कंपाउन्डिंग*  
उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए सशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- 782 /11-सी- FP/UP/Others/26736/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़।
- 2- प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली, रोड एन0एच0 24, पोस्ट पकवाड़ा, जिला-मुरादाबाद।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।

OLL